



2026:RJ-JP:6170

[2026:RJ-JP:6170]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15813/2025

Pawan Kumar Sharma S/o Shri Gyan Chand Sharma, R/o 109, Jagannath Ji Ka Mandir, Dhabai Ji Ka Khurra, Ramganj Bazar, Police Station Manak Chowk, Jaipur, At Present Plot No. 3-B, Ganpatpura, A S K G Society, 3 Flat No. G Building B Block, Near Saint Teuram Gaushala, Near Vandebharat Circle, Police Station Patrakar Colony, Jaipur (Raj.) (At Present in Central Jail, Jaipur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nav Ratan Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Rajesh Gadwal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

10/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना सोडाला, जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व परिवादी के मध्य पैसों के लेन-देन से संबंधित आरोप हैं। किराना में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से परिवादी की ओर



से पैसा दिया गया तथा 60 लाख रुपये के भुगतान के लिए चैक परिवारी ने अभियुक्त से लिये थे। इन चैकों के अनादरण का नोटिस अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम परिवारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को दिया गया है। प्रकरण पैसों के लेन-देन का होने के कारण सिविल प्रकृति का मामला है। परिवारी ने विधि विरुद्ध दबाव बनाने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवायी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, अनुसंधान/विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवारी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त भोले-भाले लोगों को धोखा देकर बड़ी रकम हड़पता है। उसने परिवारी से 60 लाख रुपये की ठगी की है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 12 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, अतः उसके विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के कहने पर परिवारी की ओर से किराना के व्यापार में मुनाफा करने के लिए निवेश किया। इस संबंध में परिवारी ने 6 चैक 60 लाख रुपये के भुगतान के लिए अभियुक्त से लिये थे, उक्त चैकों का अनादरण हो गया। इस संबंध में परिवारी की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। दोनों पक्षों में सिविल प्रकृति का मामला होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, तथापि



प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **पवन कुमार शर्मा पुत्र ज्ञानचन्द शर्मा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। यदि भविष्य में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित किया जाता है तो अभियोजन पक्ष प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त जमानत सुविधा को निरस्त करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J